राष्टोय ग्रामीण पेयजल कायक्रम

1. राष्टोय लक्ष्य

प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, भोजन बनाने एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए सतत आधार पर पर्याप्त सुरक्षित जल प्रदान करना। यह मूल आवश्यकता जल की न्यूनतम गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए एवं सभो समय एवं सभो स्थितियां में जल सुविधाजनक रूप से सुलभ होनी चाहिए।

2. मूल सिद्धांत

- आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने एवं जन स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल तक पंहुच बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता है एवं सरकार को समाज के सबसे कमजोर एवं वंचित वर्ग की इस मूल आवश्यकता की पूर्ति करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
- इस प्रकार सार्वजनिक–सार्वजनिक भागीदारी (जैसे कि गांव के अंदर पेयजल की आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायत एवं पी.एच.ई.डी.) पर अधिक जोर है न कि निजी एजेंसियों के द्वारा पेयजल आपूर्ति के व्यवसायोकरण पर।
- जल आपूर्ति प्रणाली के उपयोगकर्ता शुल्क में क्रास–सब्सिडी का अन्तर्निहित अवयव होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक रूप से पिछड लोग इस मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता से वंचित न रह जाए।

3. दृष्टिकोण

ग्रामीण भारत में सभो के लिए सभो समय में सुरक्षित पेयजल।

4. उद्देश्य

- ग्रामीण भारत में सभी परिवारों को उचित दूरी के अन्दर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।
- समुदाय आधारित जल आपूर्ति प्रणाली के नियोजन की अवधि में पीने योग्य जल की उपलब्धता, विश्वसनीयता, निरंतरता, सुविधा, समानता तथा उपभोक्ताओं की वरीयता के मुद्दे नीति–निदेशक सिद्धान्त होंगे।
- यह सुनिश्चित करना कि सभो विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों की सुरक्षित पेयजल तक पंहुच हो।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों के लिए समर्थक वातावरण बनाना ताकि वे अपने पेयजल स्रोतों एवं प्रणालियों का प्रबंधन कर सकें।
- पारदशिता, उत्तरदायित्व एवं सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना रखने के साथ आनलाइन प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना तक पंहुच बनाना।

4. लक्ष्य – स्ट्रैटजिक प्लान (2011–22)

भारत सरकार द्वारा वर्श 2011 से 2022 हेतु ग्रामीण पेयजल सेक्टर के लिए स्ट्रैटजिक प्लान तैयार किया गया है। इस स्ट्रैटजिक प्लान में निर्धारित लक्ष्य निम्नवत् है–

- प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पीने, खाना बनाने तथा अन्य घरेलू कार्यो एवं मवेषी हेतु वर्शात वर्श एवं प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिष्चित करना।
- वर्श 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर तक या घर से अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (lpcd) के मानक के आधार पर बिना किसी आर्थिक या सामाजिक भेदभाव के पेयजल की आपूर्ति सुनिष्चित करना। राज्य अपने स्तर से अधिक मात्रा में आपूर्ति के मानक यथा 100 lpcd भी निर्धारित कर सकता है।
- उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न समयसीमा का निर्धारण किया या है–
    - वर्ष 2017 तक–
        - न्यनूतम 50 प्रतिषत ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल योजना से जलापूर्ति, न्यूनतम 35 प्रतिषत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्षन के माध्यम से पाइप पेयजल आपूर्ति 20 प्रतिषत से कम परिवारों को सार्वजनिक नल से पेयजल प्राप्त करने की निर्भरता। यह सभी सेवायें गुणता एवं प्रतिदिन निर्धारित समयावधि (no. of hours) के आपूर्ति के मानकों के अनुसार की जायेंगी।
        - सभी ग्रामीण परिवारों, विद्यालयों एवं ऑगनबाड़ो में पर्याप्त सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिष्चित करना।
        - पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को न्यूनतम 60 प्रतिषत पेयजल स्रोतों एवं परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।
    - वर्ष 2022 तक
        - न्यनतम 90 प्रतिषत ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल योजना से जलापूर्ति, न्यूनतम 80 प्रतिषत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्षन के माध्यम से पाइप पेयजल आपूर्ति, 10 प्रतिषत से कम परिवारों की पेयजल हेतु सार्वजनिक नल पर निर्भरता तथा 10 प्रतिषत से कम

परिवारों की हैण्डपम्प अथवा अन्य सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल स्रोतों पर निर्भरता।

- पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को षत प्रतिषत पेयजल स्रोतों एवं परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय गामीण पेयजल कार्यक्रम के अवयव

- आच्छादनः असेवित, आंशिक रूप से सेवित तथा पूर्व में आच्छादित, परन्तु वर्तमान में छूटी हुई बस्तियों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल प्रदान करने के लिए आच्छादन, पेयजल कार्यक्रम के वार्षिक धनराषि का 47 प्रतिशत आच्छादन के लिए आवंटित किया जाएगा। (50 प्रतिषत भारत सरकार तथा 50 प्रतिषत राज्य सरकार)
- निरंतरताः निरंतरता ताकि स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा सके। पेयजल कार्यक्रम के वार्षिक धनराषि का 10 प्रतिशत इस अवयव के लिए निर्धारित होगा एवं इसे 100 प्रतिशत केंद्र के हिस्से के रूप में राज्यों/संघशासित प्रदेशों के बीच वितरित किया जाएगा।
- जल की गुणवत्ताः जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध करना। पेयजल कार्यक्रम के वार्षिक धनराषि के 20 प्रतिशत का उपयोग जल की गुणवत्ता की समस्याओं के निपटने क लिए किया जाएगा ताकि ग्रामीण समुदायों को पीने योग्य पेयजल मिल सके। इस अवयव में धन देन का आधार 50:50 प्रतिशत होगा।
- संचालन एवं रखरखावः पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के संचालन, मरम्मत तथा प्रतिस्थापन के लिए व्यय के लिए संचालन तथा रख रखाव। पेयजल कार्यक्रम के वार्षिक धनराषि का 10 प्रतिशत (50 प्रतिषत भारत सरकार तथा 50 प्रतिषत राज्य सरकार)
- ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सपोर्ट मदः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि का 8 प्रतिशत 100 प्रतिशत केन्द्रीय अंश के रूप में विभिन्न सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जायेगा ताकि ग्रामीण समुदायों को पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता, उच्च तकनीकी का उपयोग जैसे कि उपग्रह के आंकड़े/चित्र; जी.आई.एस. मैपिंग; एम.आई.एस. तथा कम्प्यूटरीकरण इत्यादि, सुनिश्चित हो सकें।